

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02

देहरादून : दिनांक 16 मई, 2023

विषय- उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग (UKWRMAC) में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विज्ञापन विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक (संशोधन) अधिनियम-2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0-24, वर्ष 2013) के अधीन उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग के 03 पदों (01 अध्यक्ष एवं 02 सदस्यों) की नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाने सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या-86385/2022 दिनांक 26.12.2022 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या-88735/2023 दिनांक 04.01.2023 में आंशिक संशोधन किया गया है (प्रति सलग्न)।

आयोग के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिये अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु तैयार संशोधित विज्ञप्ति को 02 राष्ट्रीय समाचार पत्रों Times of India (दिल्ली एवं देहरादून एवं अमर उजाला (All Editions Uttarakhand) में तत्काल प्रकाशित किया जाना है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तैयार विज्ञप्ति को उक्त राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें, साथ ही विज्ञापन एवं संगत अधिनियम, अधिसूचनायें आदि भी सिंचाई विभाग की वेबसाइट www.uttarakhandirrigation.com पर भी अपलोड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra

Semwal

Date: 16-05-2023 16:51:32

(हरिचन्द्र सेमवाल)

सचिव।

देहरादून: दिनांक 16 मई, 2023

क्र०सं०	पद नाम	पदों की संख्या	अर्हता
1	अध्यक्ष	एक	अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से सम्बन्धित विभागों का अनुभव रखता हो :

3.2 अध्यक्ष या कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा/करेगी,

- 4.2 यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति किये जाने वाला कोई व्यक्ति राज्य या केन्द्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी, प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्यथा द्वारा लाभपूर्वक सेवा में नियोजित किया गया या लगाया गया हो तो वह प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस सेवा से अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेगा।
- 4.3 किसी कार्यालय नियोजन या परामर्शदात्री अनुबन्ध या व्यवस्था जो सतही जल अपयोजना, जल वितरण, भू-जल का निकाला जाना या सम्भरण जल उद्योग से सम्बन्धित मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, उपकरण या साज-सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाडा या उनकी आपूर्ति या उनका समव्यवहार आदि जो उसके या उसके किसी नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या किसी फर्म के नियंत्रण में हो का विस्तृत विवरण पत्र द्वारा देना होगा।
5. उपरोक्त निर्दिष्ट विस्तृत विवरण एवं बायोडाटा के साथ सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित आवेदन-पत्र ई-मेल आईडी **secyirrigation26@gmail.com** पर दिनांक 30.06.2023, समय सांय 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। डाक एवं अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन-पत्रों एवं निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**Signed by Hari Chandra
Semwal
Date: 16-05-2023 16:52:26**

**सचिव, सिंचाई,
उत्तराखण्ड शासन,
दूरभाष सं० 0135-2719934**